प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प मोलीसर्दा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल सैनी

उनवान

तारामणी आदि बनाम रामप्रसाद सरकार

दावा बाबत नाम दुरस्ती

मुकदमा नम्बर :– 206 / 2021

निर्णय दिनांक :– 18.11.2021

वादी की ओर से 18.11.2021 की व प्रतिवादी की ओर से ~~स्वयं~~ / पैरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2021 को श्री राहुल सैनी (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादीगण द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर राजीनामा हस्ताक्षर के राजस्व रिकार्ड खसरा नं. 78 पर तारामणी पुत्री ओमप्रकाश एवं मालती पुत्री ओमप्रकाश के स्थान पर तारामणी पुत्री ओमप्रकाश एवं मालती पुत्री ओमप्रकाश किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरू अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:16:11 IST
Reason: SelfAttested

ना.नि. 543 / 24-11-21